छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमॉक 5959/3452–I/22/वि–3/ग्रा.यां.सेवा/2015, नया रायपुर, दिनॉक 11/09/2015
प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय :– **महात्मा गांधी नरेगा के लंबित कार्यों के मूल्यांकन हेतु दिशा–निर्देश जारी करने बाबत।**

—00—

विषयांतर्गत दिनांक 08.09.2015 को माननीय मंत्रीजी की अध्यक्षता में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें महात्मा गांधी नरेगा के कार्य का मूल्यांकन तकनीकी अमला की कमी के कारण अत्यधिक विलंब होना पाया गया। जिसके कारण महात्मा गांधी नरेगा के मजदूरी भुगतान में अत्यधिक विलंब हो रहा है, जो चिन्ता का विषय है। मूल्यांकन में विलंब होने से FTO बनाने में विलंब होता है, जिसे दूर करना है।

2/ इसलिए अब यह निर्णय लिया गया है कि जिलों में पदस्थ एवं कार्यरत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उपअभियंता भी महात्मा गांधी नरेगा के कार्य का मूल्यांकन करेंगे। इसलिए कृपया आपके जिला में तकनीकी सहायक के अतिरिक्त उपरोक्त दोनों विभाग के उपअभियंताओं को भी नरेगा के मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किया जाये, ताकि नरेगा के कार्य का मूल्यांकन शीघ्रातिशीघ्र हो एवं किसी भी परिस्थिति में नरेगा कार्य के मूल्यांकन में 5 दिवस से अधिक समय न लगे।

3/ कृपया उपरोक्तानुसार पालन सुनिश्चित करें।

11/9/15
(एम.के.राउत)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ. क्रमॉक 5960/3452–I/22/वि–3/ग्रा.यां.सेवा/2015, नया रायपुर, दिनॉक 11/09/2015
प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

क्रमशः...2

3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छगग्रासवि अभिकरण, विकास भवन, सिविल लाईन्स रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
4. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, छ.ग.,रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग